

TP  
14/2/17



झारखण्ड सरकार  
झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

**अधिसूचना**

संख्या-06/TCPO(विविध)-07/2016.....4489 राँची, दिनांक-14/07/17

नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-3926, दिनांक-22.06.17 की कंडिका-2 एवं 3 में निम्नांकित प्रावधान सम्मिलित किये जाते हैं :-


**कंडिका-2 :-**

चयन समिति, अधिनियम की धारा-46 (3) एवं झारखण्ड भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के नियम-35.3, 35.4 एवं 35.5 में निहित प्रावधान के आलोक में अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों चयन हेतु योग्य एवं पर्याप्त अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से अभ्यावेदन आमंत्रित करने हेतु खोज समिति की नियुक्ति सहित मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

**कंडिका-3 :-**

चयन समिति अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के नामों की अनुशंसा दो माह के अन्दर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


  
(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-06/TCPO(विविध)-07/2016.....4489

राँची, दिनांक-14/07/17


प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-06/TCPO(विविध)-07/2016.....4489

राँची, दिनांक-14/07/17

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, विधि विभाग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव